फरवरी 2020

आपदा संवाद

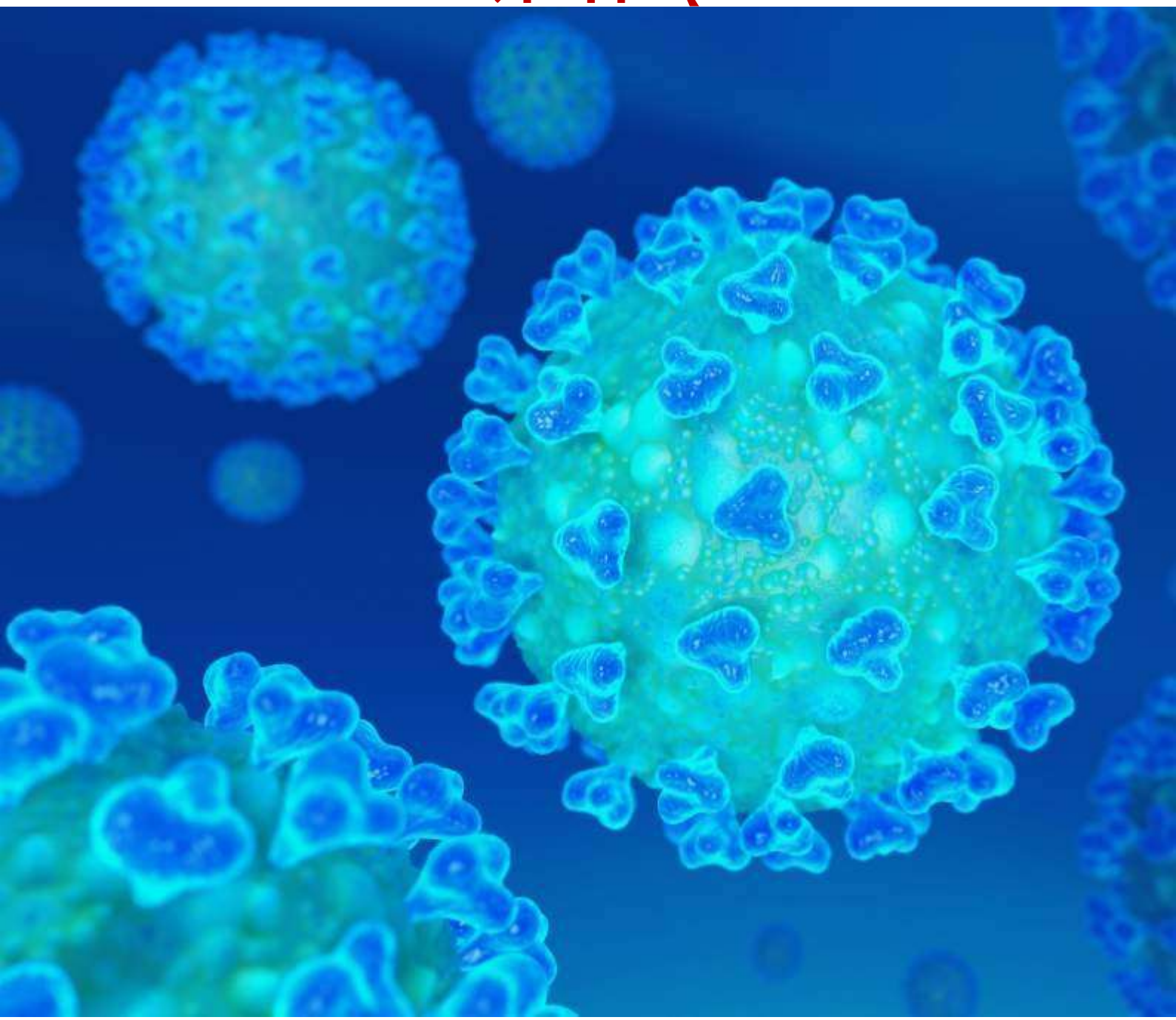

कोरोनावायरस #कोविड–19 से सुरक्षित रहें

एपीपीपीए प्रतिभागियों ने एनडीएमए का दौरा किया

भारत में आपदा प्रबंधन संरचना और इस क्षेत्र में सर्वोत्तम व्यवहार की चर्चा के लिए 21, जनवरी, 2020 को लोक प्रशासन में विकसित व्यवसायी कार्यक्रम (एपीपीपीए) से छियालीस प्रतिभागियों ने एनडीएमए का दौरा किया।

परिचर्चा को आगे बढ़ाने के लिए, एनडीएमए ने आपदाओं में वैश्विक रुझानों, भारत में डीआरआर के लिए संस्थागत तंत्र और प्राधिकरण की कार्य पद्धति की रूपरेखा पर एक प्रस्तुति दी। प्रस्तुतिकरण में राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना (एनसीआरएमपी), राष्ट्रीय स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम (एनएसएसपी), और देश में मृत्यु दर संबंधी गर्म हवाओं में वृद्धि होने का मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन विशिष्ट प्रभाव के अलावा, अन्य क्षमता निर्माण परियोजनाएं, जैसी एनडीएमए द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न परियोजनाओं के बारे में भी चर्चा की गई।

समस्याएं जैसे– पूर्व–चेतावनी में उपग्रहों की भूमिका, आपदा राहत वितरण के लिए समन्वय तंत्र और रासायनिक, जैविक, विकिरणकीय तथा परमाणु आपदाओं के बारे में भी चर्चा की गई।

एनडीआरएफ ने अपना 15वां स्थापना दिवस मनाया

18 जनवरी, 2020 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) ने अपना स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर श्री नित्यानंद राय, गृह मंत्रालय के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री मुख्य अतिथि थे और श्री जी.वी.वी. शर्मा, सदस्य सचिव एनडीएमए सम्मानीय अतिथि थे।

बल को बधाई देते हुए मंत्री जी ने कहा कि सन् 2006 में अपनी स्थापना के बाद, आपदाओं के दौरान एनडीआरएफ ने एक लाख से भी अधिक लोगों की जान बचाई है और 6.7 लाख से अधिक लोगों को बचाया/निकाला है।

श्री जी.वी.वी. शर्मा ने भी बल कर्मियों की कड़ी मेहनत, ईमानदारी और समर्पण की सराहना की और आपदा जोखिम न्यूनीकरण में उनके प्रयासों की सराहना की। उन्होंने एसडीआरएफ के साथ क्षमता निर्माण और आपदा प्रबंधन के लिए आधुनिक उपकरणों और प्रौद्योगिकी की खरीद पर भी जोर दिया।

इस अवसर पर 'शहरी बाढ़ एवं चुनौतियां' और आपदा प्रबंधन में जैविक आपातकालीन स्थितियों एवं नई प्रौद्योगिकी पर एक कार्यशाला भी आयोजित की गई।

इस कार्यक्रम में प्रमुख आपदा प्रबंधन संस्थानों; केंद्रीय पुलिस बलों के वरिष्ठ अधिकारियों और विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों के पदाधिकारी उपस्थित थे।

सी–डॉट के साथ एमओयू

एनडीएमए ने भारत का दूरसंचार प्रौद्योगिकी केंद्र (सी–डॉट) के साथ तमिलनाडु में आम चेतावनी प्रोटोकॉल शिकायत समाप्त करने के लिए आपदा पूर्व–चेतावनी मंच (पायलट) परियोजना पर एक समझौता–ज्ञापन हस्ताक्षर किया। समझौता ज्ञापन पर हस्तक्षार 30 जनवरी, 2020, को नई दिल्ली में किए गए थे। इससे, प्रभावित भौगोलिक क्षेत्र में सभी हितधारकों को आपदा संबंधी सतर्क चेतावनी का अंग्रेजी/तमिल में एसएमएस के माध्यम से प्रसार करने में सुविधा होगी।

संग्रहालयों और सांस्कृतिक विरासत मुद्दों पर बैठक

एनडीएमए ने 16 जनवरी, 2020 को अक्तूबर 2018 को माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में संग्रहालयों और सांस्कृतिक विरासत मुद्दों के संबंध में हुई एनडीएमए की बैठक में लिए गए निर्णयों का जायजा लेने के लिए पाण्डुलिपियों के राष्ट्रीय मिशन (एनएमएम), राष्ट्रीय संग्रहालय, राष्ट्रीय अभिलेखागार (एनएआई), राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय (एनजीएमए) और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के साथ एक बैठक आयोजित की। इससे पहले इस संबंध में अगस्त और अक्तूबर, 2019 को बैठकें आयोजित की गई थीं।

एनएमएम ने सूचित किया कि देश में लगभग एक करोड़ पाण्डुलिपियों में से, वे पहले ही लगभग 44 लाख का दस्तावेजीकरण कर चुके हैं। एनएमएम ने आपदा प्रबंधन को मुख्य घटक के रूप में लेते हुए पाण्डुलिपिविज्ञान और प्राचीन शिलालेखों के अध्ययन पर भी कार्यशाला आयोजित की। एनडीएमए ने सुझाव दिया कि दस्तावेजीकरण के काम को समयबद्ध तरीके से पूरा करने की एक योजना बनानी चाहिए।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने बताया कि उनकी डीएम योजनाएं तैयार करने के लिए उन्होंने पांच विरासत स्मारकों–जैसलमेर, ताजमहल, नालन्दा, आंध्र प्रदेश में रामाप्पा मंदिर और गुजरात में रानी की वाव, की पहचान कर ली गई है।

जीएलओएफ दिशानिर्देशों पर कार्यबल (टास्क फोर्स) की बैठक

एनडीएमए ने नई दिल्ली में क्रमशः 17 दिसंबर, 2019 और 3 फरवरी, 2020 को हिमनदी खतरों और जोखिमों, विशेषकर हिमनद झील से विस्फोट बाढ़ (जीएलओएफ) एवं भूस्खलन से विस्फोट बाढ़ (एजीएलओएफ) के प्रबंधन पर दिशानिर्देश तैयार करने के लिए कार्यबल (टास्क फोर्स) की दूसरी और तीसरी बैठक आयोजित की।

एनडीएमए दिशानिर्देशों को तैयार करने के लिए विकास और सहयोग के लिए स्विस एजेंसी, भारतीय स्विट्जरलैंड दूतावास, नई दिल्ली के साथ सहयोग कर रहा है। दूसरी बैठक में, कार्यबल के विशेषज्ञों से जनवरी, 2020 के आखरी तक दिशानिर्देशों का मसौदा तैयार करने के लिए अनुरोध किया गया था। इसके बाद तीसरी बैठक में दिशानिर्देशों के मसौदा पर चर्चा की गई। मसौदा अध्यायों के फीडबैक के आधार पर एक नया मसौदा तैयार करके सभी हितधारकों को परिचालित किया जाएगा।

भूस्खलन प्रशमन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

एनडीएमए ने भूस्खलन प्रभावित राज्य सरकारी लाइन विभागों, केंद्र सरकारी विभागों और राष्ट्र प्रौद्योगिकी संस्थानों के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिलाने के लिए विशेषज्ञ संस्थानों–भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान–मंडी–के साथ 23–27 सितंबर, 2019 को, उत्तर पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय (एनईएचयू), शिलांग के साथ 25–29 नवंबर को, केंद्रीय निर्माण अनुसंधान संस्थान के साथ 14–15 नवंबर, 2019 को–"भूस्खलन प्रशमन और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयारी" पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की गई।

प्रतिभागियों ने भूस्खलन जांच और डीपीआर की तैयारी के लिए प्रशमन उपायों के डिजाइनिंग के बारे में विस्तृत रूप से सीखा।

भारत सरकार ने एनडीएमए में नए सदस्य नियुक्त किए हैं

लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम, एसएम, वीएसएम और बीएआर (सेवानिवृत्त), सदस्य

लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन (सेवानिवृत्त), ने भारतीय सेना के श्रीनगर में स्थित 15 कोर की कमान संभाली है और जम्मू और कश्मीर, पाकिस्तान, मध्य पूर्वी तथा अंतर्राष्ट्रीय चरमपंथी हिंसा पर लोकप्रिय विश्लेषक हैं। वह विभिन्न मैनस्ट्रीम अखबारों के लिए लिखते हैं और रणनीतिक प्रकृति के मुद्दों पर टेलीविजन वाद–विवाद पर दिखाई देते हैं। उन्होंने देश और विदेश के विभिन्न संस्थानों में भी व्याख्यान दिया है।

वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त केंद्र विश्वविद्यालय, कश्मीर के कुलाधिपति भी है।

ले. जे. हसनैन भारत के राष्ट्रपति द्वारा 6 पदक और सेना प्रमुख द्वारा दो पदक से सम्मानित किया गया है। उन्होंने 40 वर्षों तक सक्रिय रूप से भारतीय सेना की सेवा की।

श्री राजेंद्र सिंह पीटीएम, टीम, सदस्य

श्री राजेन्द्र सिंह ने भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक के रूप में कार्य किया है। उन्होंने (भारतीय तटरक्षक बल जहाजों के सभी श्रेणियों को कमान करने की अद्वितीय विशेष सम्मान के साथ समुद्र और तट दोनों पर) विभिन्न महत्वपूर्ण कमान और स्टाफ नियुक्तियों की कमान संभाली है। श्री सिंह तटरक्षक की छवी को बहु–मिशन सेवा में ऊंचा उठाने में सहायक रहें हैं।

उनके कार्यकाल के दौरान तटरक्षक बल में प्रभावी उपायों और नीतियों को गठित किया गया, जो सुनामी, बाढ़ और बहु–चक्रवात की चेतावनी में माल और जान के नुकसान को कम करते हैं।

श्री कमल किशोर, सदस्य

श्री कमल किशोर ने आपदा जोखिम प्रबंधन मुद्दों पर पच्चीस साल से अधिक काम किया है। वह सन् 2015 से एनडीएमए के सदस्य रहे हैं, जहां वह नीति और योजनान्वयन पर कार्य करते हैं और आपदा लचीलापन अवसंरचना के लिए वैश्विक गठबंधन पर प्रधानमंत्री पहल का समर्थन करते हैं। एनडीएमए से पहले, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र, एशियाई आपदा तैयारी केंद्र और तारू के साथ काम किया है। इन्होंने आपदा जोखिम प्रबंधन मामलों पर दस से भी अधिक देशों में राष्ट्रीय सरकारों को सलाह दी और बांग्लादेश, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, म्यांमार, पाकिसतान, फिलीपींस और श्रीलंका में बड़ी आपदाओं के बाद आपदा पश्चात बहाली पर सहायता की। उनके प्रारंभिक कार्यों में उत्तरकाशी (1991) और लातूर (1993) भूकंप के बाद आपदा पश्ख्चात पुनर्निर्माण में सहायता शामिल है।

अधिक जानकारी के लिए कृपया देखें : ***https://ndma.gov.in/en/***

सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार

वर्ष 2020 के लिए आपदा प्रशमन एवं प्रबंधन केंद्र (डीएमएमसी) उत्तराखंड ने संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार प्राप्त किया। व्यक्तिगत श्रेणी में श्री कुमार मुन्नन सिंह को पुरस्कार प्राप्त हुआ। पुरस्कार की घोषणा 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्मतिथि पर की गई थी। पुरस्कार में एक प्रमाण पत्र तथा 51 लाख रुपए और 5 लाख रुपए नकद इनाम राशि क्रमशः संस्थागत और व्यक्तिगत श्रेणियों के लिए शामिल है।

2006 में स्थापित, डीएमएमसी, उत्तराखंड, उत्तराखंड सरकार के तहत राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्यों का निर्वहन करता है। श्री के.एम. सिंह ने आपदा प्रबंधन पर काफी योगदान दिया है। उन्हें वर्ष 2005 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के संस्थापक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था।

किसी आग की दुखद घटना से सीख

अनाज मंडी आग की दुर्घटना कथित रूप से चार मंजिला इमारत की दूसरी मंजिल पर शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी। आवासीय भावन, जो उत्पादों के विनिर्माण के लिए उपयोग किया जा रहा था, अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त नहीं था।

–श्री. पी.एन राय, सदस्य, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

एक बार फिर हमारे शहरी इलाके में एक और आग की दुखद घटना–इस बार अनाज मंडी, दिल्ली में–जिससे आम जनता के बीच व्यापक आक्रोश फैल गया। 8 दिसंबर, 2019 की प्रातःकाल के समय आग से 40 से अधिक लोगों की मौत हुई। इसने फिर से अग्निशमन के मामले में, हमारी आपातकालीन मोचन प्रणाली की अपर्याप्तता को उजागर किया है। इसके साथ–साथ, अग्नि सुरक्षा कोड के अनुपालन, बुनियादी तैयारी के उपायों पर सामुदायिक जागरूकता की कमी और हमारे शहरों के बड़े हिस्सों में बुनियादी शहरी नियोजन की कमी ने भी आग के जोखिम को बढ़ा दिया है। तथापि, यह प्रकृति हमारी भविष्य नहीं है। एक दृढ़ संकल्प और ठोस प्रयास के साथ प्रकृति का न केवल पता लगा सकते हैं, बल्कि बदला भी जा सकता है। तथापि, इसके लिए दीर्घकालिक उपाय (इमारतों और बस्तियों में अग्नि सुरक्षा कोडों का अनुपालन को बढ़ाना); मध्यकालिक उपाय (अग्नि सेवाओं की क्षमता में सुधार); और अल्पकालिक उपायों (हमारे अग्निशमन और समुदायों की तैयारियों में सुधार) पर एक साथ काम करने की आवश्यकता होगी।

इस लेख का उद्देश्य अनाज मंडी की आग से सबक लेकर कुछ प्रमुख मुद्दों का हल करना है। ऐसा प्रतीत होता है कि मौजूदा संसाधनों से भी प्रतिक्रिया और बेहतर हो सकती थी। यह लेख पांच महत्वपूर्ण सबक को दर्शाता है :

पहला, आग और उसके प्रभाव के फैलाव के समयबद्ध आकलन में समर्थता, प्रभाव को और गंभीर बनाता है। यह स्पष्ट है कि, मोचकों के लिए फंसने वाले लोगों की संभावित संख्या और आवश्यकता पड़ने वाली चिकित्सा देखभाल की मोटे तौर पर अनुमान तक लगाने में अधिक समय लगा। शुरूआती समय में, व्यवसायी चिकित्सा प्रतिक्रिया के अभाव में, घायलों को ऑटो रिक्शा और पुलिस कंट्रोल रूम (पीसीआर) वैन में अस्पताल ले जाना पड़ा।

दूसरा, क्षेत्र के साथ पूर्व परिचित न होना और समुदायों के साथ पहले से जुड़ाव न होना, इमारत में फंसे हुए लोगों की संख्या का अनुमान लगाने में देरी का मुख्य कारण है। यह स्पष्ट नहीं है कि स्थानीय पुलिस और पीसीआर वैन कार्मिकों

और स्थानीय खबरियों की जानकारी को स्थिति का सबसे अच्छा मूल्यांकन करने के लिए उपयोग किया गया या नहीं। इसे ठीक करने के लिए दो प्रमुख कार्यों की आवश्यकता है। अग्निशमन सेवाओं को अतिसंवेदनशील क्षेत्रों का सर्वेक्षण करना होगा और समय–समय पर समुदायों के पास जाकर समुदायों के साथ बातचीत करनी चाहिए। अग्निशमन सेवाएं इस तरह की गतिविधियां का आयोजन करती है, लेकिन इसे बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इसके अलावा, अग्नि सेवकों को संचार उपकरणों के साथ, विशेषकर मोबाइल के साथ नियुक्त करना चाहिए, जिससे उन लोगों को स्थल पर पहुंचने से पहले ही जानकारी प्राप्त करना शुरू करे। इस तरह की पूर्व आकलन, आग फैलने की प्रथम रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए मोटर साइकिल सवार अग्निशमन कर्मियों की शीघ्र तैनाती जैसी रणनीति तैयार करना और अतिरिक्त सहायता की रणनीति सहित प्रतिक्रिया की तैयारी में सहायता कर सकता है।

तीसरा, स्थल पर उचित अस्पताल पूर्व चिकित्सा प्रतिक्रिया की कमी असर को और भी गंभीर बनाता है। स्पष्टतया, बचाए गए लोगों के लिए ट्राइएज (आपदा के समय घायलों के इलाज का वरीयता निर्धारण) की कोई व्यवस्था नहीं थी। परिणामस्वरूप हर किसी को अस्पताल भेजा गया।

चौथा, प्रेस रिपोर्ट के अनुसार, सभी घायलों को सरकारी अस्पताल भेजा गया–सफदरजंग अस्पताल, लेडी, हॉर्डिंग मेडिकल कॉलेज, एम्स ट्रॉमा सेंटर, जिनमें से किसी–किसी का 22 कि.मी. दूर है। मानक संचालन प्रक्रिया की मांग यह है कि सरकार क्षेत्राधिकार में निजी अस्पतालों के साथ समझौता करें, ताकि किसी आपदा के मामले में, घायलों/प्रभावित लोगों को निकटतम अस्पताल में देखभाल की जा सके। इसके अलावा, जले हुए रोगियों को उपचार की आवश्यकता है, जो हर अस्पताल में प्रदान नहीं किया जा सकता।

पांचवां, किसी घटना के समय उचित संचार रणनीति के अभाव का मतलब था कि आग में फंसने या घायल होने वालों के रिश्तेदारों के बीच बहुत सारे भ्रम, हताशा और अराजकता।

छठा, प्रभावित लोगों के बीच बुनियादी तैयारी के बारे में जागरूकता की कमी, प्रभाव को और जटिल बनाती है। उनमें से अधिकांश को मौत के घाट उतार दिया गया। 43 हताहतों में से 39 लोगों का दम घुटने लगा। इमारत में रहने वाले लोगों को स्पष्ट रूप से पता नहीं था कि वे चारों ओर धुंए के बीच में से कैसे बचें। उनका मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं था। इससे हमें समुदाय की तैयारी करने की चुनौती मिली। सहमत हैं कि वह एक अवैध इकाई थी, जो वह जरूरत नहीं, परंतु तथ्य यह है कि इस तरह के मुद्दे हमारे देश में मौजूद हैं, क्या ऐसे लोगों के क्षमता निर्माण के लिए एक प्रयास करना चाहिए?

उपर्युक्त दर्शित मुद्दों का हल करने के लिए बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता नहीं है। ये इस प्रकार के मुद्दे हैं जो हमारी अग्निशमन सेवाएं और समस्त आपातस्थिति प्रबंधन प्रणाली लघु अवधि में हल कर सकते हैं, जबकि हम मध्य और दीर्घावधि समस्याओं को भी हल करते हैं।

–लेख में व्यक्त विचार और राय लेखक के हैं और जरूरी नहीं कि एनडीएमए की आधिकारिक नीति या स्थिति को प्रतिबिंबित करें।

यदि आाप आग में फंसे हैं तो :

- फर्श के करीब रहें, यदि धुंआ आपकी स्थान पर फैला है तो।
- किसी दरवाजे को खोलने से पहले, उसे गर्मी के लिए जांच करें। खोलने से पहले दरवाजे, कुंडी और फ्रेम के ऊपर का तापमान जांच करने के लिए अपने हाथ के पिछले हिस्से का इस्तेमाल करें। यदि यह गरम है, तो न खोलें।
- यदि आाप किसी भी दरवाजे से भागने में असमर्थ हैं, तो किसी खिड़की का उपयोग करें, तथापि, यदि खिड़की से कूदना बहुत ऊंचा लगे तो, कुछ लहराते हुए लोगों का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करें।
- यदि आप कमरा छोड़ सकते हैं, तो आपके पीछे का दरवाजा बंद कर दें। यह आग की गति को धीमा कर देगा–नीचे धीरे–धीरे रेंगते हुए चलें।
- यदि आपके कपड़े को आग लगती है, तो जमीन पर गिरे और आग बुझाने के लिए घूमें।

कोरोनावायरस
#कोविड-19
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार
24/7
#कोविड–19 हेल्पलाइन
+91 -11 - 23978046

भारत सहित पूरे विश्व में कोरोनावायरस संक्रमण का खतरा फैला हआ है। निम्नलिखित सरल उपायों का पालन करके इसके संक्रमण के जोखिम को कम करें:

1. नमस्ते कहें, हाथ मिलाने, गले मिलने, चुंबन आदि से बचें।
2. सभी से सुरक्षित दूरी बनाएं रखें, विशेषकर बुखार, सर्दी या खांसी से पीड़ित लोगों से।
3. खांसते या छींकते समय अपने मुंह को टिश्यू या रूमाल से ढकें एवं बंद डब्बे में इस्तेमाल किए गए टिश्यू का निपटान करें।
4. बार–बार साबुन और पानी से या अल्कोहल आधारित सेनिटाइजन से अपने हाथों को धोना याद रखें
   - खांसने या छींकने के बाद
   - खाना पकाने से पहले और बाद में, खाने के से पहले
   - वॉशरूम का उपयोग करने के बाद
5. सीमित और भीड़–भाड़ वाले स्थानों पर यात्रा करने से बचें।
6. कोरोनावायरस दूषित सहतों से फैलता है। मेज, दरवाजा घुंडी, लिफ्ट बटन, सीढ़ी रेलिंग आदि सतहों को छने से बचें।
7. करेंसी नोट गिनने के लिए लार का इस्तेमाल न करें।
8. यदि आपकों खांसी, बुखार या सांसा लेने में तकलीफ है, तो तुरंत किसी डॉक्टर से सलाह लें।
9. अफवाह पर यकिन न करें न फैलाएं। विश्वसनीय स्त्रोतों की सूचना पर ध्यान दें। (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, अन्य केंद्रीय और राज्य एजेंसियों; अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे–विश्व स्वास्थ्य संगठन)।

रोकथाम

कोरोनावायर अत्यधिक संवेदनशील है

खांसी या छींक के द्वारा वायु संचरण

खांसते और छींकते समय नाक और मुंह को टिश्यू से ढकें। टिश्यू को डिब्बे में डालें

संचरण

साबुन और पानी से बार–बार अपने हाथों को धोएं।

संक्रमित वस्तु

यदि बीमार हैं तो मास्क पहनिए

सुरक्षितरहें!

कोरोनावायरससेसुरक्षितरहें!

एनडीएमए में अग्नि सुरक्षा ड्रिल

अग्नि सुरक्षा एक सुरक्षित कार्यस्थल की कुंजी है। 10 जनवरी, 2020 को एनडीएमए ने तीन मंजिला एनडीएमए भवन के ग्राउंड फ्लोर पर आग का अनुकरण करके एक फायर ड्रिल किया। अभ्यास का उद्देश्य अग्नि संबंधित दुर्घटना के मामले में मानक संचालन प्रक्रिया का पूर्वाभ्यास करना था। सबक सीखे गए, अंतराल पहचाने गए, प्रतिक्रिया तंत्र सुव्यवस्थित किए गए।

आग लगने की स्थिति में :

- अलार्म बजाए और फायर ब्रिगेड को सूचित करें।
- घबराए नहीं; शांत रहिए।
- सभी विद्युत उपकरणों से आग को बुझाने का प्रयास करें।
- दरवाजे और अन्य खुले बंद करें।
- धुए को फैलने से रोकने के लिए दरवाजे के नीचे एक गीला कपड़ा रखें। सांस लेने में फिल्टर करने के लिए अपने मुंह को कवर करने के लिए गीले कपड़े का प्रयोग करें।
- आग नियंत्रण से बाहर होने पर तुरंत बाहर निकलें।
- अपनी संपत्ति के लिए वापस न जाएं।
- आग के कारण जलने की चोट लगने पर, दर्द कम होने तक जले पर पानी डालें।

ग्रीष्म लहर (लू)

के लिए तैयार रहें

- स्थानीय मौसम समाचार के लिए रेडियो सुने; टीवी देखें; अखबार पढ़े या मौसम सूचना संबंधित मोबाइल एप्प डाउनलोड करें।
- पर्याप्त मात्रा में पानी पीएं–जब प्यास न लगी हो तब भी। मिर्गी, हृदय, गुर्दे या यकृत रोग वाले व्यक्ति, जो द्रव–प्रतिबंधित आहार पर हैं : या द्रव पदार्थ ग्रहण बढ़ाने से पहले किसी डॉक्टर का परामर्श लें।
- ओआरएस (ओरल रीहाइड्रेशन सोल्यूशन), घर में बने हुए पेय जैसे लस्सी, तौरानी (चावल का पानी), नींबू पानी, छाछ, आदि लें ताकि आपके शरीर में पानी की कमी न रहे।
- हल्के वजन के और हल्के रंग के, ढीले सूती कपड़े पहनें।
- यदि आप बाहर हैं तो, अपना सिर किसी कपड़े, टोपी (हैट) या छाते से ढकें। अपनी आंखों की सुरक्षा के लिए सनग्लासेस और अपने त्वचा की सुरक्षा के लिए सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें।
- बुजुर्गों, बच्चों बीमारों या अधिक वजन वालों का विशिष्ट ध्यान रखें क्योंकि वे अत्याधिक गर्मी के शिकार हो सकते हैं।

पता :
एनडीएमए भवन
ए–1 सफदरजंग एनक्लेव, नई दिल्ली–110029.
दूरभाष संख्या : +91–11–26701700
नियंत्रण कक्ष : +91–11–26701728
हेल्पलाइन संख्या : 011–1078
फैक्स : +91–11–26701729

controlroom@ndma.gov.in aapdasamvaad@gmail.com /NDMA.in @ndmaindia